



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

NORTHERN REGION FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION & FARMERS WELFARE)

ट्रैक्टर नगर, सिरसा रोड, हिसार (हरियाणा)

TRACTOR NAGAR, SIRSA ROAD, HISAR - HARYANA

(AN ISO 9001:2008 CERTIFIED INSTITUTION)

No. 10-01/2010-Misc.

Dated: 10.11.2015

श्री पवीन अली,

c/o नेवराज विंग नं. 6, बैरक नं. 4/35,

पेम नगर, देहरादून-248 007, उत्तराखण्ड

विषय : जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जानकारी देने बारे।

श्रीमान जी,

आपके पत्र दिनांक 26.10.2015 जिसमें आपने जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई जानकारी मद अनुसार इस प्रकार से है :-

1. ट्रैक्टर ड्राइविंग कोर्स के लिए पढ़ना व लिखना आना जरूरी है उम्र 18-40 वर्ष होनी चाहिए। दाखिले के समय जन्म तिथि का प्रमाण व चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति जमा करानी होगी व मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी। विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट <http://nrftti.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।
2. ट्रैक्टर ड्राइविंग का स्पेशल कोर्स नहीं है जबकि यू-2 पाठ्यक्रम में ही ट्रैक्टर ड्राइविंग करवाई जाती है जो कि आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 01 सितम्बर, 16 अक्टूबर, 01 दिसम्बर, 15 फरवरी से प्रारंभ होता है।
3. केन्द्रीय कर्मचारी यदि ट्रैक्टर ड्राइविंग कोर्स (U-2) करना चाहता है तो इस सम्बन्ध में विभागीय पत्राचार करें। तथा अनुमति होने पर अपने विभागाध्यक्ष से प्रशिक्षण हेतु नामित किये जाने का पत्र प्रशिक्षण में दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा। यदि आप उक्त जानकारी से असंतुष्ट हैं तो निम्नलिखित प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपनी अपील प्रेषित कर सकते हैं :-

श्री हिम्मत सिंह,

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,

सिरसा रोड, हिसार - 125 001 (हरियाणा)

(मान सिंह)

सी.पी.आई.ओ./कृषि अभियंता

10/11/15

10/11/15